FORM NO. iii

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नांगल राजावतान

सरकार ....बनाम.............**बनवारी लाल शर्मा** ....

किस्म मुकदमा........**प्रार्थना पत्र आरटीए 83–86**............न0......24..............सन्..........2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2019	तहसीलदार नांगल राजावतान स्वयं उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को नोटिस ज़ारी किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.06.2019 को पेश हो।	50 20/5/19
19.06.2019	तहसीलदार नांगल राजावतान स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी बनवारी लाल शर्मा उपस्थित। प्रकरण के संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा धारा 83–86 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 24.04.2019 को ग्राम प्यारीवास के खसरा नंबर 540/1 रकबा 2.00 हैक्टेयर मे बिना सक्षम अनुमति के पेड काट लिये गये है। अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 83–86 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी उपस्थित आया। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रकरण पेश कर निवेदन किया है कि आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति नांगल राजावतान मंत्री बनवारीलाल शर्मा के नाम दर्ज ग्राम प्यारीवास तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नंबर 540/1 रकबा 2.00 हैक्टेयर मे अप्रार्थी द्वारा मजदूर लगाकर बिना सक्षम अनुमति के छोटे बडे 8 हरे बबूल के पेड काटे गये है, जिनका वजन लगभग 20 क्विंटल है, जिन्हें पटवारी हल्का द्वारा जब्त कर कब्जे राज लिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 8000/–रूपये है। तहसीलदार द्वारा बताया गया कि उक्त पेड काटने के सम्बन्ध मे कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है उक्त कृत्य धारा 83 आरटीए का स्पष्ट उल्लंघन है।	1/2 21/6/19

उपखण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान (दौसा)

अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 83 के तहत एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 के तहत कठोर कार्यवाही अमल मे लाई जावे।

उपस्थित अप्रार्थी बनवारी लाल द्वारा कोई सन्तोषजनक जवाब पेश नहीं किया तथा ना ही हरे पेड काटने के सम्बन्ध मे सक्षम अनुमति पेश की। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये अवैद्य रूप सें हरे पेडों की कटाई की गई है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 83–84 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः तहसीलदार नांगल राजावतान को काटे गये जप्तशुदा पेडों की लकडियों की सर्व साधारण मे सार्वजनिक निलामी की जाकर प्राप्त निलामी राशि राजकोष मे अविलम्ब जमा कराने के निर्देश दिये जाते है। अप्रार्थी को बिना सक्षम अनुमति के हरे पेड काटे जाने के जुर्म 100/–रूपये प्रति पेड की दर सें 800/–रूपये की पेनल्टी कायम की जाती है। निलामी राशि एवं पेनल्टी राशि की मांग कायमी की जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान (दौसा)